न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 43/2019/प्रथम अपील

भंवरलाल शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा, पता– ग्राम मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)–332312।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 14 नवम्बर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **भंवरलाल शर्मा** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **22.07.2019** से शिकायत पत्र क्रमांक 2018–19/BVSKS/41 दिनांक 15.07.219 के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है–

   (1) उक्त शिकयत पत्र पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

   (2) उक्त शिकायत जिन–जिन अधिकारियों के पास गया तथा जिस अधिकारी के पास जितने दिन तक रहा और इस दौरान उन अधिकारी ने उस पर जो कार्यवाही की, उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराएं।

   (3) विभाग के नियमानुसार उक्त शिकायत पर अधिकतम जितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी, उक्त मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है अथवा नहीं।

   (4) उक्त शिकायत को जिस आवक जावक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया उस रजिस्टर के पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(5) उक्त शिकायत पर अगर कोई नोटशीट चलाई गई हो तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।

(6) उक्त शिकायत की बनाई गई फाईल कवर के उपर व नीचे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(7) उक्त शिकायत पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(8) कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं जिन्हें उक्त आवेदन पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की।

(9) उक्त शिकायत की कार्यवाही के सम्बन्ध आप द्वारा कोई भी पत्राचार जिस किसी व्यक्ति या अधिकारी से किया गया हो तो उस पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(10) उक्त शिकायत पर जिस नियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई उस नियम/आदेश के पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

(11) अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जाएगी, यह कार्यवाही कब तक की जायेगी।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर कनिष्ठ सहायक श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित आये।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **06.11.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय की सतर्कता शाखा के पत्र दिनांक 03.09.2019 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवाई गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना सतर्कता शाखा के पत्र दिनांक 03.09.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner